


४.२.२१

पत्रावली पेशा वहीन परकाळ उपर
एकाला पर समयक विचार किया गया
वाकियां के वादपत्र, जवाब एलिवारी नम्बर
। एवं जवाब एलिवारी नं० २५ ॥ नै इक-
वाकिया जवाब तथा अन्त में वाकियां
तथा एलिवारी नम्बर । के मध्य दुय


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

नाम
क
जन्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

आपसी सहमति के राजीनामों पर सम्झौता किया गया।


वारियां गए वादग्रह के साथ उम्मेदवार वसा-
वेजादि एवं अनुलोषादि पर सम्झौता किया।


उक्त में सुलक खोलेदार रामचंद्र की
जाति भीगा है, जो अनुसूचित जनजाति की
पीछाछा में आते थे, जो बन्दोबस्त के दरम्यान
उक्त खोलेदार की जाति छाकड़ दर्ज हो
जाए उक्त इति का बचान जतिवारी नम्बर
। का नर दिया जाकर बचानामा पंजीबद्ध
किया गया।

सुलक खोलेदार आप वारिया के पास
में रजिस्टर्ड वसीयत की गयी जिसकी जति
संलग्न है।

रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादग्रह
इति वारिया के माय दर्ज कर पर रामचंद्र
के वारिसान का आपत्ति नहीं है।

रामचंद्र आप जतिवारी नम्बर 1 के
पक्ष में की गयी वसीयत धाप 42 B
P. n. Act के जोखारों अनुसार जल्म
सही मून्य होत्र है उक्त इति पर
जतिवारी नम्बर 1 का किसी प्रकार
के खत्व जोदूत नहीं होत है।


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर प्रकरण हुकम मं ज
	<p> पुस्तक की जलबारी नम्बर 1 व वारिया के मध्य आपसी सहमति का राजीनामा हो जाने से एकठा सं प्रसंगों के मध्य समस्त विवाहक बिन्दुओं का अवसान हो जाना एकट होला ही एकठा सं जलबारीगठा। 16 ॥ के बाद वारियां लीकाल कर एक वसीयत वादात अति वारियां के नाम रक किया जाने पर आपसी नली 16 अतः सहमति व राजीनाम अनुसार बाद वारियां लीकाल किया जाकर यह आदेश दिया जाते हैं, कि ग्राम अमलापदवेडा खण्ड नं० 176, 180 किला 2 तबका 0.91 हे० का वारियां का खालेदार घोषित किया जाता है उक्त अति वारियां के नाम रक की जावे। तदनुसार रिड्डी भुलिव हो प्रभावती की निर्मित में गठना की जाकर ज्विष्ट लेख मंडार हो। विधिम आज दि० 8/2/21 को भेटे डाटा दिखाया जाकर विस्तृत व्याख्यान में सुनाया गया। </p> <p style="text-align: center;">  (इशाल दाम) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी </p>	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~अवकाश~~

(अंश 20, कल 6-7, ज्ञापना दीशानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 मुकद्दमा नं. देसाल दान (I.A.S.)

2020
00294

कैशालबाई वनाम सुगाबाई
 दावा बाबत 88-89-188 R.T. Act. 1955
 मुकद्दमा नं. 166 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूप-रू मुझ देसाल दान (I.A.S.)

राजरी श्री एस. आर. अलीर एड. मिनजानिव मुद्दई व श्री जितेंद्र प्राली एड.
श्री एस. आर. अलीर एड. मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है कि डिकरी दी जाती है कि एड.
सहमति व राजीनाम अदालत बाद वारियां खीका किया जाऊं यह आदेश
दिये जाते हैं कि ग्राम अमलावद खंडा ख.नं: 176, 180 फिला 2 (कवा) 0.91 एकड़
का वारियां का खालेदार घोषित किया जाता है उम्मा इकि वारियां क काक नई
श्री आर्षी

फीज मुवालग बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व भरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

वसूलत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 02 2021 को जारी की गई।

मुहर उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रूपया	पं.	मुद्दायलाह	रूपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिफ	
मुतफरिफ				
मीजान....			मीजान...		

नोट-इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, बाहे डिकरी के जरिये खिलाया गया हो या नहीं दर्ज करवा
 बाहिये। वाद व्यय प्रकार अपना-अपना बरत की

रा. मु. बी. 139-2006-1;00,000 कामं

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी